न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं०–06, मथुरा

मूलवाद सं०–255/2010

बृजेन्द्र खण्डेलवाल बनाम ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

दिनांक–21.12.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 59 ग व आपत्ति 63 ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना गया।

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थनापत्र 59 ग इस आशय से दिया गया है कि दौरान मुकदमा दिनांक–01.04.2020 को प्रतिवादी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गयी है और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, के समस्त कार्य की देख रेख व संचालन पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया जा रहा है, इस कारण वाद में कोई पेचीदगी उत्पन्न न हो इसलिए इस मुकदमें में पंजाब नेशनल बैंक को पक्षकार कायम किया जाना परम आवश्यक है। वादी ने इस संदर्भ में एक नोटिस भी दिनांक –23.06.2022 को पंजाब नेशनल बैंक व उसके अधिकारियों को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया है। अतः वादपत्र के टाईटिल में प्रतिवादी सं० –4 ता 7 बढ़ाये जाने व वादपत्र के चरण 11 अ बढाया जाकर निम्नलिखित संशोधन किये जाने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थनापत्र शपथपत्र 60 ग से समर्थित है।

रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी की ओर से आपत्ति 63 ग प्रस्तुत करते हुए, कथन किया है कि प्रार्थनापत्र गलत ब्यानात के साथ दिया गया है, प्रस्तुत वाद अंतिम बहस हेतु कई वर्ष से नियत चला आ रहा है। प्रार्थनापत्र महज प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की गजस से प्रस्तुत किया गय है। पूर्व में भी वादी द्वारा दिनांक –20.02.2020 को व 15.02.2021 को संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये थे, वादी इसी प्रकार वाद की कार्यवाही को लंबित करता चला आ रहा है। प्रस्तावित संशोधन प्रा०पत्र के माध्यम से लिए गए कथन पूर्व में भी वादी अपने संशोधन प्रा०पत्र के माध्यम से कर चुका है। वादी के उक्त कथन गलत है। प्रतिवादी द्वारा वादी की किरायेदारी वाले भाग को दिनांक–10.10.2022 को खाली कर दिया गया है इसलिए वादी प्रतिवादी से उक्त दिनांक के पश्चात किराया प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, न हीं प्रतिवादी वादी का किरायेदार रहा है। प्रस्तावित संशोधन आफटर थॉट है। अगर प्रस्तावित संशोधन को मंजूर कर लिया जाता है तो वाद की प्रवृत्ति परिवर्तित हो जायेगी। अतः रेस्पोन्डेन्ट ने प्रस्तावित संशोधन प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

वादी/प्रार्थी द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रश्नगत वादपत्र के टाईटिल में प्रतिवादी सं०–4 ता 7 बढ़ाये जाने व वादपत्र के चरण 11 अ बढाये जाना कहा गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रस्तवित संशोधन वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक प्रकृति का पाया जाता है। प्रस्तावित संशोधन से प्रतिकर वाद में लिए गए केस की मूल प्रकृति नहीं बदलती और न ही किसी पक्ष को कोई क्षति कारित होने वाली है , न ही नवीन वाद कारण उत्पन्न होता है। अतः प्रार्थनापत्र 59 ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 59 ग स्वीकार किया जाता है। वादी/प्रार्थी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन नियमानुसार अन्दर 7 दिन करे। तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक –18.01.2024 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–06, मथुरा